UPHR010013702026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थितः रीता कौशिक, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड नं०–UP 5728

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–594/2026

सुजीत पुत्र मोहन लाल निवासी ग्राम सिंहपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर
---------------------------------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

सरकार---------------------------- विपक्षी/अभियोगी।

दिनांकः 11.03.2026

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सुजीत की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–430/2025 अन्तर्गत धारा–109 बी०एन०एस० थाना अतरौली जनपद हरदोई के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। जमानत प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 20.11.2025 को वादी मुकदमा सतीश चन्द्र, निरीक्षक थाना अतरौली, अन्य पुलिसकर्मियों के साथ थाना हाजा से रवाना होकर विनावर देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन ढिकुन्नी पुलिया पर मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर अतरौली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर आते हुए तीन व्यक्तियों का पुलिसपार्टी द्वारा पीछा करने पर, मोटरसाइकिल से भाग रहे व्यक्तियों ने पीछे से पुलिस आती देख व खुदा को घिरा जानकर डर गए और मोटसाइकिल को एकाएक लालपुर की तरफ मोड़ दिए कि अचानक मोटरसाइकिल मोड़ देने से गाड़ी कि बैलेंस खराब हो जाने के कारण मोटरसाइकिल गिर गयी और उक्त तीनों व्यक्तियों भागते हुए बोले साले पुलिस है और उन लोगों ने पुलिसपार्टी पर जान मारने की नीयत से फायर कर दी गयी, किन्तु पुलिसपार्टी बाल बाल बच गयी। बचाव में पुलिसपार्टी द्वारा फायर करने पर उनकी गोली एक व्यक्ति के बाएं पैर में एवं एक व्यक्ति के दाहिने पैर लगी और दोनों गिर गए। पुलिसपार्टी द्वारा गिरफ्तार करने पर एक व्यक्ति ने अपना नाम राम जी व दूसने ने अपना नाम विजय बताया। उक्त सह अभियुक्तगण द्वारा भागे गए व्यक्ति का नाम आवेदक/अभियुक्त सुजीत बताया गया। गिरफ्तारशुदा सह

Digitally signed by REETA KAUSHIK
Date: 2026.03.11 15:03:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण की अभिरक्षा से भिन्न–भिन्न स्थानों से चुराए गए जेवरात, नकद रूपए एवं अवैध आग्नेयास्त्र बरामद किए गए।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क किये गये हैं कि वह निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे झूठा फंसाया गया है। घटना की तिथि को आवेदक/अभियुक्त बाहर था। आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई वस्तु बरामद नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है न ही विचाराधीन ही है। अतः जमानत की याचना की गयी है।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का घोर विरोध करते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

5– जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

6– केस डायरी के परिशीलन से स्पष्ट है कि सह अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार करने पर उक्त सह अभियुक्तगण द्वारा आवेदक/अभियुक्त का नाम अपराध कारित करने में बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

7– मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, सामग्री एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए परन्तु मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना, मेरी राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सुजीत की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुबलिग **50,000/– (पचास हजार)** रूपए का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल किये जाने एवं निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए –

1. आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होगा।
2. आवेदक/अभियुक्त आरोप तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी०एन०एस०एस० जैसी सारवान तिथियों पर विचारण न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी साक्षी को प्रलोभित व प्रकोपित नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त जब भी अपना अस्थाई व स्थाई पता परिवर्तित करेगा तो इसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय को देगा।
5. आवेदक/अभियुक्त किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त नहीं होगा तथा न्यायालय की अनुमति के बगैर देश छोड़कर विदेश नहीं जाएगा।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष जमानत निरस्त कराने के लिए स्वतंत्र होगा।

(रीता कौशिक)

दिनांकः 11.03.2026

सत्र न्यायाधीश,

हरदोई।